

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./246/2012

दर्ज दिनांक:-16.07.2012

1. देवेन्द्रसिंह पता-प्राथी
बनाम
2. दिगम्बरसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:
तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.03.2019

वकील उभयपक्ष उप./ मूल दावा अपालना में खारिज किया जा चुका है।
ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी 09-नि.5 सीपीसी के तहत अपालना में
खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक
21.11.2011 निरस्त किया जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर तकमील दा.द.हो।

अक्षय गोदरा, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official